न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 34/2024
3. उनवान :
   1. गोपाल पुत्र कानाराम
   2. कोयली देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
   3. चन्द्री देवी पुत्री कानाराम
   4. छोटूराम पुत्र कानाराम
   5. फूलचन्द पुत्र जगदीश प्रसाद
   6. महेश पुत्र जगदीश
   7. माना देवी पत्नी कानाराम
   8. मोहन लाल पुत्र जगदीश प्रसाद
   9. रूडमल पुत्र भागीरथ
   10. शंकर पुत्र जगदीश प्रसाद
   11. श्रवण कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
   12. सन्तोष पुत्री कानाराम

   समस्त जाति जाट निवासी डूंगरी कलॉ तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण,

   –अपीलार्थीगण

   बनाम

   राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर

   –प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट
4. निर्णय दिनांक : 03/12/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री बृजराज सिंह राठौड अपीलांट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/गैर सायलान को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया गया तथा लगान 0.50 रुपये का 50 गुणा 30/–रुपये शास्ति राशि से दण्डित किया जाता है। उक्त निर्णय दिनांक 13–08–2024 को पारित किया गया। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में अंकित किया कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 450, 451, 446 के पूर्व में भौगोलिक स्थिति के अनुसार वास्तविक गै0 मुमकीन रास्ते के रूप में ग्राम डूंगरी कलां से सांगा का बास आदि गांवो का आवागमन चला आ रहा है और इसी के चलते 20–25 वर्षो पहले प्रशासन ने डामर रोड बनाई है जिसकी आपत्ति अपीलार्थीगण ने कभी नहीं की। भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा 0.9484 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता वाके ग्राम डूंगरी कला, तहसील जोबनेर जिला जयपुर अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 450, 446 रकबा 11.5196 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 वाके ग्राम डूंगरी कलां तहसील जोबनेर जिला जयपुर के बीच में उत्तर से दक्षिण सहवन से दर्ज है तथा अपीलार्थीगण के उत्तर में भी पडौसी काश्तकार की भूमि के बीच में भी सहवन से दर्ज है जो की कभी भी गै. मुमकीन रास्ते के रूप में

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

उपयोग व उपभोग नही की गई तथा अपीलार्थीगण की भूमि की पूर्वी सीमा पर चालू गै. मुमकीन रास्ता सडक अपीलार्थीगण की भूमि में दर्ज गै. मुमकीन रास्ते की भूमि से अधिक है, जिसका कोई मुआवजा भी अपीलार्थीगण को नहीं दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा कोई अतिचार नहीं किया गया है जबकि अपीलार्थीगण की भूमि पर उक्त गै. मुमकीन रास्ता भूमि से अधिक पर डामर सडक बनी हुई है। उपरोक्तानुसार तकासमा/तरमीम किये जाने से किसी भी काश्तकार का अहित नही होगा तथा वास्तव में मौके के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो जायेगा। अपीलार्थीगण काश्तकार इस प्रकार अपनी स्वैच्छिक सहमति देने को तैयार व तत्पर है।

अपीलार्थीगण के जवाब पर गौर मनन किया जाना चाहिए था ताकि उस पर अधिनस्थ न्यायालय अपनी फाईन्डिग देता तो अपीलार्थीगण को न्याय मिलता, इस प्रकार भी अधिनस्थ न्यायालय का उक्त पारित निर्णय आलोच्य आदेश है जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया कि सीमा ज्ञान करवाया गया था। खसरा नम्बर 448 जो गैर मु० रास्ता दर्शाया गया है वो पूर्ण रुप से दर्शित नहीं किया गया है क्योंकि खसरा नम्बर 448 के लगते ही पडौसी काश्तकारो के खसरा नम्बर 425, 426, 423/1, 423/2 व अन्य खसरान के लगते काश्तकारों को भी हल्का पटवारी ने नोटिस नही दिया जबकि उनके विरूद्ध भी समान रुप से कार्यवाही होनी चाहिए थी। अपीलार्थीगण को बहस में अपना पक्ष रखने का मौका भी नही दिया और उसी दिन निर्णय पारित कर दिया। खसरा नम्बर 448 गै०मु० रास्ता बन्द है एवं अपीलार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 450, 451, 446 में पूर्वी सीमा पर 60–70 वर्षों से चालू है। जो वर्तमान में डामर रोड बना हुआ है जो लगभग 20–25 वर्षो से चालू है, जो वैकल्पिक रास्ता है। अपीलार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी के दोनों तरफ रास्ते बने पड़े है तो तहसीलदार को मौके पर जाकर अवलोकन, मौका मुआयना किया जाना चाहिए था। हल्का पटवारी की उक्त आराजीयात की रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस के मानचित्र में भारी अन्तर है। खसरा नम्बर 448 गै. मुमकीन रास्ता का वर्तमान में अस्तित्व ही नहीं है, ना ही वर्तमान में चालू है, ना ही इसकी किसी प्रकार से उपयोगिता है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोबनेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2024 को अपास्त किया जावे।

अपील के संलग्न अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र, अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति तथा अन्य दस्तावेजात पेश किये हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये।

रेस्पोडेन्ट तहसीलदार जोबनेर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण/गैर सायलान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय दिनांक 13.08.2024 अपीलार्थीगण/गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का गहन अवलोकन करके विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। ग्राम डूंगरीकला के आराजी खसरा नंबर 448 किस्म गै.मु.रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त रास्ता पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मामला प्रथम दृष्ट्या अतिक्रमण का होने से प्रकरण विचारण न्यायालय में दर्ज कर नियमानुसार अपीलार्थीगण/गैर सायलान को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई करते हुए अपीलार्थीगण/गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब/साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य रिकॉर्ड/साक्ष्य का अवलोकन करने पर

प्रकरण राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का साबित होने से अपीलाधीन निर्णय दिनाक 13.08.2024 पारित किया गया। ग्राम डूंगरीकलां का आराजी खसरा नंबर 448 किस्म गै. मु.रास्ता रकबा 0.9484 हैक्टे. जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान में मौके पर डूंगरीकला से सांगा का बास तक डामर सड़क बनी हुई है, जो आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध है। निर्मित डामर सड़क वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। डामर सड़क पश्चिम में खसरा नंबर 455/2, 450, 451 व पूर्व में 455/2, 452 की सीमा पर निर्मित है। उक्त खसरों के खातेदारान के पास खातेदारी भूमि सड़क को समर्पित करने संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया। पटवारी हल्का द्वारा गै.मु. रास्ते का मौका अवलोकन करके ही विचारण न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों/अपीलार्थीगण के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का डूंगरीकलां द्वारा गै0मु0 रास्ता आराजी खसरा नंबर 448 की मौका जांच करने पर पाया कि आराजी खसरा नंबर 425, 426, 423/1, 423/2 व अन्य खसरान के लगते काश्तकारों को नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि उक्त खसरों के खातेदारान का खसरा नंबर 448 गै.मु. रास्ता पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना पाया गया। पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंबर 448 गै0मु0 रास्ता के संबंध में धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें नजरी नक्शा में अतिक्रमण की स्थिति दर्शायी गई है।

अन्त में विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.08.2024 अपीलार्थीगण/ गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का गहन अवलोकन करके विधि सम्मत रूप से पारित करने किया गया है। अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया गया है।

तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित है कि खसरा नंबर 448 किस्म गै. मु.रास्ता सेटलमेन्ट समय से नक्शे लट्ठे में अंकित है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त रास्ता पिछले 40–45 साल से बंद है। उक्त रास्ता वर्तमान में खुला हुआ नहीं है। उपस्थित मौतबिरान द्वारा उक्त रास्ता 40–45 साल से बंद होना बताया है। आंशिक रूप से रास्ता खसरा नंबर 455/1 की सीमा में खातेदारों द्वारा स्वयं के निजी उपयोग मकान निर्माण हेतु अपने खेत में ट्रेक्टर ट्रॉली ले जाने हेतु रास्ता बनाया गया है, जो चालू है तथा स्वयं के उपयोग में आ रहा है। वर्तमान में खसरा नंबर 422 की दक्षिणी सीमा पर रास्ता बना हुआ है जो कि खातेदारी भूमि से बना हुआ है तथा खसरा नंबर 422 में बना रास्ता कोई रिकॉर्डेड नहीं है जो कि वर्तमान में चालू है। खसरा नंबर 422 खातेदारी भूमि के दक्षिणी दिशा में बना रास्ता जो कि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है व रास्ता कच्चा है।

उक्त जवाब एवं रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार जाबनेर द्वारा मौका रिपार्ट व नक्शा ट्रेस व नजरी नक्शा पेश किया है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई तथा उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार जोबनेर का निर्णय दिनांक 13.08.2024 विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा बहस हेतु अवसर न देते हुए तथा अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय उसी दिनांक को पारित कर दिया गया। बिना सीमाज्ञान, बिना अवलोकन एवं मौका मुआयना किये उक्त निर्णय पारित कर दिया गया। खसरा नं0 448 के पड़ोसी काश्तकारों को नोटिस प्रदान नहीं किया गया। भूमि खसरा नम्बर 448 रकबा

0.9484 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता भूमि खसरा नम्बर 450 व 446 के बीच में उत्तर से दक्षिण सहवन से दर्ज है तथा अपीलार्थीगण के उत्तर में भी पडौसी काश्तकार की भूमि के बीच में भी सहवन से दर्ज है। जो की कभी भी गै. मुमकीन रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग नही की गई तथा अपीलार्थीगण की भूमि की पूर्वी सीमा पर चालू गै. मुमकीन रास्ता सडक अपीलार्थीगण की भूमि में दर्ज गै0 मुमकीन रास्ते की भूमि से अधिक है। जिसका कोई मुआवजा भी अपीलार्थीगण को नहीं दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा कोई अतिचार नहीं किया गया है जबकि अपीलार्थीगण की भूमि पर उक्त गै. मुमकीन रास्ता भूमि से अधिक पर डामर सडक बनी हुई है। उपरोक्तानुसार तकासमा/तरमीम किये जाने से किसी भी काश्तकार का अहित नही होगा तथा वास्तव में मौके के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो जायेगा। अतः तहसीलदार जोबनेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2024 को अपास्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम डूंगरीकलां का आराजी खसरा नंबर 448 किस्म गै. मु.रास्ता रकबा 0.9484 हैक्टे. जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान में मौके पर डूंगरीकला से सांगा का बास तक डामर सड़क बनी हुई है, जो आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध है। निर्मित डामर सड़क वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। डामर सड़क पश्चिम में खसरा नंबर 455/2, 450, 451 व पूर्व में 455/2, 452 की सीमा पर निर्मित है। उक्त खसरो के खातेदारान के पास खातेदारी भूमि सड़क को समर्पित करने सबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया। पटवारी हल्का द्वारा गै.मु. रास्ते का मौका अवलोकन करके ही विचारण न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों/अपीलार्थीगण के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पटवारी हल्का डूंगरीकलां द्वारा गै0मु0 रास्ता आराजी खसरा नंबर 448 की मौका जांच करने पर पाया कि आराजी खसरा नंबर 425, 426, 423/1, 423/2 व अन्य खसरान के लगते काश्तकारों को नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि उक्त खसरों के खातेदारान का खसरा नंबर 448 गै.मु. रास्ता पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना पाया गया। खसरा नंबर 448 किस्म गै. मु.रास्ता सेटलमेन्ट समय से नक्शे लट्ठे में अंकित है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त रास्ता पिछले 40–45 साल से बंद है। उक्त रास्ता वर्तमान में खुला हुआ नहीं है। उपस्थित मौतबिरान द्वारा उक्त रास्ता 40–45 साल से बंद होना बताया है। आंशिक रूप से रास्ता खसरा नंबर 455/1 की सीमा में खातेदारों द्वारा स्वयं के निजी उपयोग मकान निर्माण हेतु अपने खेत में ट्रेक्टर ट्रॉली ले जाने हेतु रास्ता बनाया गया है, जो चालू है तथा स्वयं के उपयोग में आ रहा है। वर्तमान में खसरा नंबर 422 की दक्षिणी सीमा पर रास्ता बना हुआ है जो कि खातेदारी भूमि से बना हुआ है तथा खसरा नंबर 422 में बना रास्ता कोई रिकॉर्डेड नहीं है जो कि वर्तमान में चालू है। खसरा नंबर 422 खातेदारी भूमि के दक्षिणी दिशा में बना रास्ता जो कि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है व रास्ता कच्चा है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

पत्रावली अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत अपील न्यायालय तहसीलदार जोबनेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण में मुख्य विवाद्यक बिन्दू रास्ते से संबंधित है। अपीलान्ट का कथन है कि खसरा नम्बर 448 गै.मु० रास्ता बन्द है एवं अपीलार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 450, 451, 446 में पूर्वी सीमा पर चालू है। जो वर्तमान में डामर रोड बना हुआ है जो लगभग 20–25 वर्षों से चालू है, जो वैकल्पिक रास्ता है।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

प्रकरण के सन्दर्भ में तहसीलदार जोबनेर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि "ग्राम डूंगरीकला के आराजी खसरा नंबर 448 किस्म गै.मु.रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मौके पर डूंगरीकला से सांगा का बास तक डामर सड़क बनी हुई है, जो आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध है। निर्मित डामर सड़क वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। डामर सड़क पश्चिम में खसरा नंबर 455/2, 450, 451 व पूर्व में 455/2, 452 की सीमा पर निर्मित है। उक्त खसरों के खातेदारान के पास खातेदारी भूमि सड़क को समर्पित करने संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना बताया। खसरा नंबर 448 का रास्ता पिछले 40–45 साल से बंद है। उक्त रास्ता वर्तमान में खुला हुआ नहीं है। आंशिक रूप से रास्ता खसरा नंबर 455/1 की सीमा में खातेदारों द्वारा स्वयं के निजी उपयोग मकान निर्माण हेतु अपने खेत में ट्रेक्टर ट्रॉली ले जाने हेतु रास्ता बनाया गया है, जो चालू है तथा स्वयं के उपयोग में आ रहा है। वर्तमान में खसरा नंबर 422 की दक्षिणी सीमा पर रास्ता बना हुआ है जो कि खातेदारी भूमि से बना हुआ है तथा खसरा नंबर 422 में बना रास्ता कोई रिकॉर्डेड नहीं है जो कि वर्तमान में चालू है। खसरा नंबर 422 खातेदारी भूमि के दक्षिणी दिशा में बना रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है व रास्ता कच्चा है।"

उक्त रिपोर्ट एवं नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 448 में दर्ज गै0 मु0 रास्ता 40–45 वर्षों से बंद होना बताया गया है, जो खातेदारों की भूमि के बीच में से निकल रहा है। उक्त रास्ता आगे भी बंद बताया गया है। जबकि वर्तमान में खसरा नंबर 455/1 की उत्तरी तथा पूर्वी एवं खसरा नंबर 451, 450 की पूर्वी सीमा पर पक्की डामर रोड बनी हुई है, जो खातेदारी में दर्ज है किन्तु नक्शे व जमाबन्दी में दर्ज नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोबनेर के अपीलाधीन आदेश 13/08/2024 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि वे संबंधित खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate

(कुन्तल विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर